

दिनांक : 21.09.2026 इंडियन बैंक 15000 से 14000 रुपये 12000 से 13000 बायक 9000 से 10000 रुपये।



Bank of India
Relationship beyond banking

रिश्तों की जमापूँजी
Relationship beyond banking

आस्ति वसूली शाखा, आंचलिक कार्यालय प्लॉट नंबर 9-आरसी,
स्कीम नंबर 134, एम. आर-10 इंदौर (म.प्र.) 452010
फोन नम्बर 0731-2445122, 212
Email: arb.indore@bankofindia.bank.in

**अचल आस्तियों के
विक्रय हेतु ई-नीलामी
विक्रय सूचना**

ई-नीलामी विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाले/जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया) के पास गिरवी / प्रभारित है, जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित ऋणी एवं जमानतदारों से बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु दिनांक 09.10.2026 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य अग्रिम धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमशः दी गई है।

ई-नीलामी दिनांक 09.10.2026 को प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

शाखा का नाम (1)	ऋणी / जमानतदार का नाम (2)	संपत्ती का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (रु.) (6)	ईएमडी (7)
शाखा : एआरबी	मेसर्स श्री महालक्ष्मी फूड प्रोडक्ट्स, पता: प्लॉट नंबर 7/11, बी-1 इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 2, एबी रोड देवास, जिला देवास, म.प्र. (455001) श्री श्याम गर्ग पिता श्री राम गर्ग (पार्टनर) श्री नवीन गर्ग पिता श्री राम गर्ग (पार्टनर) श्री आनंद गर्ग पिता श्याम गर्ग (पार्टनर) श्री अंशुल गर्ग पिता श्याम गर्ग (पार्टनर), सभी का पता 1: प्लॉट नंबर 7/11, बी-1 इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 2, एबी रोड देवास, जिला देवास, म.प्र. (455001), 2: 3 एचआईजी विकास नगर, एबी रोड देवास, जिला देवास, म.प्र. (455001), 3: 43-बी सेठ जीतमल नगर एबी रोड देवास म.प्र. (455001) श्रीमती उषा गर्ग पति श्याम गर्ग (जमानतदार), पता 1: 3 एचआईजी विकास नगर, एबी रोड देवास, जिला देवास, म.प्र. (455001) पता 2: 43-बी सेठ जीतमल नगर एबी रोड देवास म.प्र. (455001)	लीज होल्ड संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश फैक्ट्री, भूमि एवं भवन प्लॉट नंबर 7/11/बी-1, इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 2 एबी रोड जिला देवास, प्लॉट क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर संपत्ति मालिक: मेसर्स श्री महालक्ष्मी फूड प्रोडक्ट्स, संपत्ति की चतुर्सीमा: पूर्व: 24 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम: प्लॉट नंबर 11 ए, उत्तर: प्लॉट नंबर 11-बी II, दक्षिण: 50 मीटर चौड़ी सड़क	10.04.2023 ₹5,03,66,496.46 + ब्याज एवं अन्य खर्च	07.07.2023 सांकेतिक	₹ 242.00 लाख	₹ 24.20 लाख

क्रेता के द्वारा स्टाम्प शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, टी.डी.एस. सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दरों और संपत्तियों से संबंधित कोई अन्य खर्च, मौजूदा और भविष्य, दोनों के लिए देय होगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम से ही जारी किया जाएगा।

ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://baanknet.com> बोलीकर्ता <https://baanknet.com>, नियम व शर्तों की अधिक जानकारी हेतु शैक्षणिक वीडियो के साथ देख सकते हैं। बोलीकर्ता को पूर्व में ही बोली पंजीयन की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। नीलामी से संबंधित सभी जानकारी ई-नीलामी दिनांक से पहले ही प्राप्त कर लेने की सभी जवाबदारी बोलीकर्ता की रहेगी।

ए. सफल बोलीकर्ता को घोषणा के तुरंत बाद बिक्री मूल्य का 25 % (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) जमा करना होगा।

बी. नीलामी- बिक्री की कार्यवाही में बैंकिंग लेनदेन का समय समाप्त होने के पश्चात, खरीद मूल्य का 25 % (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) अगले कार्य दिवस तक जमा कराना होगा।

सी. बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की दिनांक से 15 वें (पंद्रहवें) दिन के भीतर जमा किया जाना होगा।

डी. उपर उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, जमा और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा।

इ. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा 194-IA के तहत लागू 1 % की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रु. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म 26QB आनलाईन भरकर जमा कराना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म 16B में जारी करना होगा। खरीदार को सरकारी खाते में आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

एफ. बोली केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत की जाएगी।

जी. प्राधिकृत अधिकारी का उक्त ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

एच. आरक्षित मूल्य से कम से कम एक वृद्धि राशि जोड़ने पर ही बोली स्वीकार होगी।

दिनांक : 22.09.2026, स्थान: इन्दौर

प्राधिकृत अधिकारी: बैंक ऑफ इंडिया

गुमास्ता नगर, इन्दौर (म.प्र.) से उनकी भूमि स्वामी हक्क अधिकारी एवं आधिपत्य की ग्राम जेतपुरा (प.ह.नं. 00041), तहसील सावेर, जिला इन्दौर (म.प्र.) में स्थित व्यवसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित भूमि सर्वे क्रमांक 107/1/1/2 पैकि रकबा 0.102 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 107/196/1/2 पैकि रकबा 0.162 हैक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 0.264 हैक्टेयर अर्थात 28400 वर्गफीट भूमि को क्रय करने का अनुबंध करते हुए टोकन राशि का भुगतान भी कर दिया है। उपरोक्त अचल संपत्ति के विषय में किसी भी व्यक्ति, संस्था, निकाय, बैंक आदि का कोई ऋण, भार, हक्क, हित या आधिपत्य हो अथवा इस सौदे में कोई आपत्ति हो, तो इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से सात दिन में मेरे निम्न पते पर मय लिखित प्रमाण सहित अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा उक्त संपत्ति के विक्रय लेख का निष्पादन व पंजीयन मेरे पक्षकार के द्वारा करवा लिया जावेगा। दिनांक: 23.09.2026

आदित्य सोलंकी अभिभाषक
122, रेफेल टॉवर, साकेत चौराहा, इन्दौर
मो.नं. 7772067772, 9893081918

जाहिर सूचना

ग्राम भिचौली मर्दाना तहसील बिचौली हप्पी जिला इन्दौर म.प्र. स्थित भूमि के संबंध में।

सर्वे सूचित हो कि, हमारे पक्षकार ने मेसर्स धार आटोमोटिव्स प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर मेहरनोश इलाविया पिता श्री मेहरबान इलाविया निवासी 42, मनीषपुरी कॉलोनी, इन्दौर म.प्र. से उनकी मालकी व आधिपत्य की ग्राम भिचौली मर्दाना तहसील बिचौली हप्पी जिला इन्दौर म.प्र. में स्थित आवासीय प्रयोजन हेतु परिवर्तित भूमि सर्वे नंबर 35/1/2 रकबा 0-297 हेक्टर एवं सर्वे नंबर 38/1/8 रकबा 0-212 हेक्टर की कृषि भूमि को सर्वभार मुक्त स्थिति में क्रय करने का सौदा किया होकर उस पेटे सारवान बयाना राशि भी हमारे पक्षकार ने उक्त विक्रेता को अदा कर दी है। सदर संपत्ति पर किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, वित्तीय निकाय का कोई ऋण, भार, चार्ज, आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 10 दिन के अंदर लेखी प्रमाण सहित मिले, अन्यथा बाद नियाद के योग्य लिखा पढ़ी करवा ली जावेगी व किसी भी प्रकार की आपत्ति हमारे पक्षकार एवं उपरोक्त संपत्ति के विक्रय पर बंधनकारक नहीं रहेगी।

पं. देवीप्रसाद शर्मा,
पं. अरविन्द शर्मा "जैमन" (एडवोकेट्स)
जी/1-2, रॉयल कोर्ट रोड, 28/1 मोती तबेला
इंदौर मो. : 98260-72702, 99263-33393

गुमास्ता नगर, इन्दौर (म.प्र.) से उनकी भूमि स्वामी हक्क अधिकारी एवं आधिपत्य की ग्राम जेतपुरा (प.ह.नं. 00041), तहसील सावेर, जिला इन्दौर (म.प्र.) में स्थित व्यवसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित भूमि सर्वे क्रमांक 107/1/1/2 पैकि रकबा 0.102 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 107/196/1/2 पैकि रकबा 0.162 हैक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 0.264 हैक्टेयर अर्थात 28400 वर्गफीट भूमि को क्रय करने का अनुबंध करते हुए टोकन राशि का भुगतान भी कर दिया है। उपरोक्त अचल संपत्ति के विषय में किसी भी व्यक्ति, संस्था, निकाय, बैंक आदि का कोई ऋण, भार, हक्क, हित या आधिपत्य हो अथवा इस सौदे में कोई आपत्ति हो, तो इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से सात दिन में मेरे निम्न पते पर मय लिखित प्रमाण सहित अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा उक्त संपत्ति के विक्रय लेख का निष्पादन व पंजीयन मेरे पक्षकार के द्वारा करवा लिया जावेगा। दिनांक: 23.09.2026

धीरज गड़नीस, एडवोकेट
309, क्लर्क कॉलोनी, इंदौर (म.प्र.)
मो. 9425059594, 9039059594

नितीन कुमार गौर (एडवोकेट) मो.9425048425

ग्राम राघौगढ़ तेह. व जिला देवास में स्थित भूमि की जाहिर सूचना दि.- 23/09/2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने (1) श्रीमती संगीता पति स्व. श्री गोरीलाल जी (2) श्रीमती बुलबुल पिता स्व. श्री गोरीलाल जी (3) श्रीमती बबिता पिता स्व. श्री गोरीलाल जी व (4) श्रीमती भारती पिता स्व. श्री गोरीलाल जी निवासीगण - ग्राम राघौगढ़ तेह. व जिला देवास (म.प्र.) से उनके अधिकार एवं संयुक्त स्वामित्व की ग्राम राघौगढ़ तेह. व जिला देवास, प.ह.नं. 97 में इंदौर नागपुर हाईवे पर स्थित कृषि भूमि जिसका सर्वे नम्बर 154/2/2 (S) होकर इसका कुल रकबा 0-2010 हे. है, को क्रय करने का सौदा तय किया है। भूमि की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:-
पूर्व में- सर्वे नं. 154/3/2 पश्चिम में- सर्वे नं. 154/1
उत्तर में- सर्वे नं. 171/2 दक्षिण में- इन्दौर नागपुर हाईवे

यह कि यदि उक्त वर्णित भूमि पर किसी व्यक्ति या वारसान, बैंक सोसायटी, शासकीय, अशासकीय, अर्धशासकीय, तेहसील अथवा अन्य किसी का भार बोझ, ऋण, स्वत्व या बकाया आदि हो तो अपनी आपत्ति सप्रमाण इस प्रकाशन के 07 दिवस में मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें। समयावधि निकलने के पश्चात मेरे पक्षकार के द्वारा अपने हित में योग्य दस्तावेज का निष्पादन करवा लिया जावेगा। इसके पश्चात किसी प्रकार की कोई आपत्ति मेरे पक्षकार के हितो पर बंधनकारी नहीं होगी। अतः सूचित हो।

कार्यालय-31, ए. बी. रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, देवास
कार्यालय-यू.जी 7/1, बी.सी.एम हाईट्स, विजय नगर, इंदौर

5, फर्स्ट फ्लोर, हरिकुंज, प्लॉट नंबर 633, खार पाली रोड, खार वेस्ट मुम्बई (महा.) से इनके स्वामित्व एवं आधिपत्य के दो भूखण्ड क्र. 20 जे एवं 20 के, हरेकृष्ण विहार, ग्राम निपानिया जिला इन्दौर (म.प्र.) प्रत्येक भूखण्ड 40 बाय 50 फीट क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट (185.87 वर्गमीटर) कुल क्षेत्रफल 4000 वर्गफीट (371.74 वर्गमीटर) को सर्वभारमुक्त अवस्था में खरीदना तय किया है। उक्त सम्पत्ति के विक्रेता के स्वत्व, आधिपत्य संबंधी आपत्ति या इसमें किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि किसी प्रकार कोई विक्रय, दान, बंधक, गिरवी आदि प्रकार से कोई निहित हक, हित, अधिकार, आधिपत्य हो या इसपर किसी का ऋण, जमानत, मेंटेनेंस, आदि का भार, बोझ हो या शासकीय विभागों आदि की कोई वैधानिक आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन से 7 (सात) दिनों में सप्रमाण लेखी में मुझे प्रस्तुत करें। अवधि पश्चात विक्रय अनुबंध, अंतरण बिलेख आदि निष्पादन, पंजीयन किया जायेगा। बाद निष्पाद कोई भी आपत्ति मेरे पक्षकार के हितों पर बंधनकारक नहीं रहेगी। यह ज्ञात हो।

संजीव कुमार गवते एडवोकेट
C/O दैदीप्य गवते
कार्या. एम-22, नवनीत दर्शन, ओल्ड प्लासरिया, इन्दौर (म.प्र.) मो.: 9826040476